न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 409 / 2023

अनवान : –

1. रोशनी पुत्री विद्या पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. विद्या पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. मेसर पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. कौशल्या पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/08/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 407 / 404 के खसरा न0 111 / 1 की 6.7780 हैक्ट भूमि में से 2530 / 3389 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि प्रतिवादीया स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो की साझा परिवार की संयुक्त आय से अर्जित है। जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीया अपना हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 वादिया एवं प्रतिवादी स0 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 अपनी बहिन से अत्यधिक स्नेह रखते है इसलिए वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है। पारिवरिका सदस्यों ने बाहमी बंटवारा कर लिया है जिसके अनुसार वादीया को कृषि भूमि देनी है इसलिए रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 407 / 404 के खसरा न0 111 / 1 की 6.7780 हैक्ट भूमि में से 2530 / 3389 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 3.036 हैक्ट भूमि [illegible] एवं 2.024 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स0 1 के पास रहेगी। इसी अनुसार वादीया न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादीया के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीया के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 407/404 के खसरा न0 111/1 की 6.7780 हैक्ट भूमि में से 2530/3389 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की [illegible] एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक [illegible] किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 [illegible]7/404 के खसरा न0 111/1 की 6.7780

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट भूमि में से 2530/3389 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 3.036 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 409/2023

अनवान : –

1. रोशनी पुत्री विद्या पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. विद्या पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. मेसर पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. कौशल्या पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 409 सन 2023 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 407/404 के खसरा न0 111/1 की 6.7780 हैक्ट भूमि में से 2530/3389 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में से 3.036 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested